झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

WEB-NOTICE – ...30.../2025

राष्ट्रीय साधन –सह– मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु Fresh एवं पूर्व से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्र–छात्राओं के लिए Renewal आवेदन प्रपत्र जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं, उनके अभिभावकों/संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा परीक्षा में सफल छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। उक्त छात्रवृत्ति को प्राप्त करने हेतु आवेदकों से National Scholarship Portal (http://scholarships.gov.in) पर Online आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक– 31.08.2025 है। नीचे अंकित परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति हेतु Fresh एवं Renewal आवेदन प्रपत्र भरने के लिए पात्र होंगे।

Exam Date	Project Year	Class	Scholarship
11.02.2024	2024-25	IX	Fresh
22.01.2023	2023-24	X	Renewal
13.03.2022	2022-23	XI	Renewal
12.12.2020	2021-22	XII	Renewal

चयनित छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति के रुप में भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 12000/– रूपये देय होगा। आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नवत् है :–

Online आवेदन भरने की प्रक्रिया :–

- आवेदक पोंटल पर **New Registration Tab** के माध्यम से वांछित जानकारी की प्रविष्टि कर **One Time Registration (OTR)** करेंगें।
- OTR के लिए आधार संख्या और आधार के साथ जुड़ा मोबाईल संख्या का ही उपयोग किया जा सकेगा।
- **Gosogle Play Store** पर उपलब्ध **NSP OTR App** को डाउनलोड कर, उसके माध्यम से भी OTR किया जा सकता है।
- वर्ग IX एवं X के छात्र–छात्रा ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र भरते समय **Pre-Matric option** का चुनाव करेंगे।
- छात्र–छात्राओं द्वारा भरा गया आवेदन प्रपत्र विद्यालय के प्राचार्य द्वारा ऑनलाइन Verify कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा। अतः संबंधित विद्यालय के प्राचार्य सर्वप्रथम अपने विद्यालय का ऑनलाइन पंजीयन करेंगे, तत्पश्चात् ही उनके विद्यालय के छात्र–छात्रा का आवेदन प्रपत्र उनके Login में उपलब्ध हो सकेगा। विद्यालय के Login में उपलब्ध आवेदन को Verify एवं Forward करने के पूर्व छात्र–छात्रा के अभिलेख से इसका जांच करना आवश्यक होगा।

- त्रुटिपूर्ण आवेदन दिनांक 15.09.2025 तक Verify किये जाऐंगे।
- Institute Verification दिनांक– 15.09.2025 तक किये जाऐंगे।
- DNO/SNO/MNO Online Verification की अंतिम तिथि 30.09.2025 निर्धारित है।
- **बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र सुविधानुसार अपने बैंक खाते को आधार से Seeding कराना आवश्यक है।**
- **सभी लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु NSP पर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र नहीं जमा करनेवाले छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा और इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित छात्र–छात्रा की होगी और इस संबंध में परिषद् स्तर से किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।**
- **लाभुक आवेदन करते समय अपना या अपने पिता का मोबाईल संख्या एवं email-Id आवेदन में अवश्य भरेंगे।**
- **किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में परिषद् के छात्रवृत्ति कोषांग के दूरभाष संख्या– 7485093439 पर सम्पर्क किया जा सकता है।**
- इस Scheme के तहत् सभी जानकारियाँ यथा संस्थानों के पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया, छात्रवृत्ति की राशि, Renewal की प्रक्रिया एवं शर्तें, Fresh आवेदन भरने की प्रक्रिया इत्यादि से संबंधित विस्तृत विवरणी हेतु NSP Portal से प्राप्त की जा सकती है।

नोट :– परिषद् द्वारा उक्त छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी मात्र उपलब्ध कराई जाती है। छात्रवृत्ति प्राप्त होने या नहीं होने में परिषद् की कोई भूमिका नहीं रहती है। छात्रवृत्ति **Department of School Education and Literacy, New Delhi** के द्वारा DBT के माध्यम से सीधे लाभुक के खाते में प्रदान किया जाता है। अतः छात्रवृत्ति अप्राप्त रहने से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा या अभ्यावेदन परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह0/–

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

ज्ञापांक : JAC/Sch/NMMSS/3995/24/Secy/818/25 / राँची, दिनांक : 19.8.2025

प्रतिलिपि : वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को इस आशय के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित कि उपरोक्त वेब नोटिस को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

19/8/25

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

19.8.25